

5.	<p>आयोग के द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ।</p>	<p>विभाग के मुख्य-मुख्य क्रिया-कलापों से संबंधित निम्नलिखित नियम/विनियम हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. दातव्य निधि नियमावली ।</li> <li>2. विजय निधि नियमावली ।</li> <li>3. द्वितीय विश्वयुद्ध पेंशन सम्बंधी नियम/शासनादेश ।</li> <li>4. कल्याण कार्यकर्ता के कर्तव्य ।</li> <li>5. कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं से सम्बंधित शासनादेश ।</li> <li>6. जिला सैनिक बन्धु का गठन ।</li> <li>7. सेवारत सैनिकों की घरेलू समस्याओं के निस्तारण के सम्बंध में ।</li> <li>8. वीर चक्र ऋखला के पुरस्कार विजेताओं को दिये जाने वाली एकमुश्त नगद धनराशि एवं वार्षिक वृद्धि ।</li> <li>9. अशोक चक्र ऋखला के पदक में विभूषित महानुभावों को दी जाने वाली धनराशि की सीमा में बढ़ोतरी ।</li> <li>10. कार्यरत सैनिकों की निजी समस्याओं के निराकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन ।</li> <li>11. नागरिक कार्मिक/सुरक्षा गार्ड्स एवं निजी संस्थाओं के सुरक्षा कर्मियों द्वारा सेना की वर्दी] उनके बैजेज़ एवं स्टार का उपयोग न किये जाने के सम्बंध में ।</li> <li>12. लोक शिकायत अनुभाग में सैनिकों की समस्याओं के निराकरण सम्बंधी मामलों के सम्बंध में ।</li> </ol>